२७/५

पत्रावली प्रस्तुत
पीठासीन अधिकारी आज...[illegible]
पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार
दिनांक....6.5.24....को पेश हो।

6/5/24

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व विपक्ष वकील प्रार्थी को अभावेदनों की तामिल पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर दिया जा चुका है लेकिन पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी अभिभाषक तक तामिल की रसीद पेश नहीं की अतः प्रार्थी को आदेश अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान भाडा नियंत्रण अधिनियम अन्तर्गत अधिकार 9 नियम 5 के तहत खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर बस्ता सिविल होकर दाखिल दफ्तर हो।